

कोर्ट फीस  
टिकट 2 रू.

एफ-47

न्याय

प्रपत्र - V-1  
(देखिये नियम-9)

विडियों पर फिल्म प्रदर्शन हेतु अनुज्ञापत्र का आवेदन पत्र

1. (अ) आवेदक का नाम :  
(ब) पिता का नाम :  
(स) उम्र एवं लिंग :  
(द) पता - 1. स्थाई (प्रमाणित)

2. अस्थाई

2. विडियों पर फिल्म प्रदर्शन हेतु प्रस्तावित स्थल मकान नं. (यदि वाहन है तो वाहन का पंजीयन नं. तथा मार्ग का विवरण)
3. (अ) भारतीय डाकतार अधिनियम 1885 के नियम 9(2) के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ विडियो टेलिविजन पर फिल्म प्रदर्शन हेतु अनुज्ञापत्र की प्रमाणित प्रति  
(ब) नियम 9(2)(बी) के अंतर्गत स्थल मानचित्र तीन प्रति में।  
(स) नियम 9(2)(सी) के अन्तर्गत भवन का मानचित्र तीन प्रति में।  
(द) भागीदारी फर्म की स्थिति में भागीदारों के नाम व पते।

4. विडियो सिनेमा/पार्लर के संदर्भ में -  
(अ) प्रतिदिन प्रस्तावित शो एवं शो का समय  
(ब) स्क्रीन की चौड़ाई  
(1) टेलिविजन स्क्रीन  
(2) वीडियो स्क्रीन  
(स) कुल बैठक क्षमता

- (द) प्रवेश दर  
(य) विडियो फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ करने की तिथि  
(र) प्रबन्धक यदि कोई हो तो नाम व पता

5. प्रस्तावित स्थान होटल एवं रेस्टोरेन्ट की स्थिति होने पर  
(अ) कुल संख्या  
टेलिविजन स्क्रीन/वीडियो स्क्रीन/वीडियो स्कोप स्क्रीन  
(ब) कुल संख्या – वीडियो कैसेट रिकार्ड्स/प्लेयर्स  
(स) वीडियो द्वारा प्रदर्शन की प्रस्तावित तिथि का विवरण  
(द) मैनेजर का नाम, यदि कोई हो तो

6. कोष कार्यालय के चालान नम्बर एवं दिनांक तथा निर्धारित शुल्क/जमा कराया गया नवीनीकरण शुल्क

दिनांक –

आवेदक के हस्ताक्षर

मय पता किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित

### कार्यालय कार्यवाही

प्राप्त आवेदन पत्र जांच हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक उप जिला मेजिस्ट्रेट अधिशासी अभियंता सा. नि.वि. मुख्य अग्निशमन अधिकारी/स्थानीय निकाय संस्था/नगर पालिका /ग्राम पंचायत/मुख्य चिकित्स एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहायक अभियंता को भिजवाने हेतु पत्र हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

लिपिक

शाखा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी